

①

पत्र सं०- अपर आयु०(पुलिस)/पुलिस कर्मी पौष्टिक आहार भत्ता वृद्धि /2022-23/

189 /राज्य कर
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(पुलिस-कैम्प)

दिनांक: लखनऊ: 24 जून, 2022

समस्त

अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि० अनु०शा०) राज्य कर
उत्तर प्रदेश।

विषय:- उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अराजपत्रित अधिकारियों /कर्मचारियों को वर्तमान में दिये जा रहे पौष्टिक आहार भत्ते में वृद्धि।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस अधीक्षक, भ०/क० नि० अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/ कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 12/ए-210-2021 दिनांक 30-05-2022 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ-1 के पत्र संख्या-12/ए-210-2021 दिनांक- 04-01-2022 के साथ संलग्न शासनादेश गृह(पुलिस) अनुभाग-1 संख्या-3574/6-पु-1-21-261/2017 दिनांक-29-12-2021 (छायाप्रति संलग्न) में अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अराजपत्रित अधिकारियों /कर्मचारियों को वर्तमान में दिये जा रहे पौष्टिक आहार भत्ते में वृद्धि कर दी गयी है। अतः बढ़ी हुई दर से भुगतान कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

समसन्दर्भ में आयुक्त, राज्य कर द्वारा राज्य कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-3574/6-पु-1-21-261/2017 दिनांक-29-12-2021 से बढ़ी हुई दर से पौष्टिक आहार भत्ता भुगतान कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

यह पत्र अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर उत्तर प्रदेश से प्राप्त अभिमत एवं आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक:- यथोपरि

Ain
et
Pcin
24.6.22

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई०पी०एस०

अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या: व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ।
- 2- अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस अधीक्षक, भ०/क० नि० अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/ कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: 12/ ए-210-2021 दिनांक 30-05-2022।
- 4- संयुक्त आयुक्त(आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने विषयक।
- 5- उपायुक्त एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- 6- समस्त उपायुक्त(प्रशासन) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

24.6.2022

अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।